(a) what is the import bill of oil and natural gas in the year 1992-93; and

(b) whether Government have taken any policy decision to build larger storage capacity to take advantage of the fall in the prices whenever these occur ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA) : (a) The import bill for crude oil and petroleum produts for the year 1992-93 was approximately Rs. 17,046.00 crores. No import of natural gas was made during the year.

(b) There is no such proposal at present.

प्राइवेट कंपनियों द्वारा रसोई गैस का विपणन

1190. श्री मूल चन्द मीणा : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कौन–कौन सी कंपनियों को रसोई गैस आयात करने की अनुमति दी है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) कौन–कौन सी कम्पनियों ने रसोई गैस का वितरण कार्य आरंभ कर दिया है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कम्पनियों ने अपने क्षेत्रीय डीलरों अथवा वितरकों की नियुक्ति करके लोगों से करोड़ों रुपया एकत्र किया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि कई फर्जी कम्पनियां धन एकत्र करने में लगी हैं; यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कम्पनियों पर पाबंदी लगाने का विचार रखती है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) सामानान्तर विपणन प्रणाली के तहत निजी पक्षकारों को रसोई गैस आयात करने तथा इसका विपणन करने हेतु अनुमति दी गई है, जिसके लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इजाजत दी जाने की कोई पद्धति नहीं है ।

(ख) अभी तक मैसर्स एस्सार वर्ल्ड ट्रेड लि० ने 3400 मी. टन रसोई गैस आयात की है तथा उसे थोक उपभोक्ताओं को बेच दिया है ।

(ग) और (घ) इस प्रकृति की रिपोर्ट सरकार की जानकारी में आयी है । एक प्रेस नोट के माध्यम से आम जनता को परामर्श दिया गया है कि वह सामानान्तर विपणन प्रणाली में प्रवेश करने तथा डीलरशिप एवं डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के संबंध में विज्ञापन देने वाले पक्षकारों के साथ किसी लेने देन अथवा कार्य व्यापार को करने से पूर्व ऐसे पक्षकारों के ब्यौरों, उनकी प्रामाणिकता तथा सामर्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया गया कि ऐसे अनुचित व्यवसायों में संलिप्त हो रहे ऐसे पक्षकारों की तलाश करने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया एक सूची एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को उनके द्वारा कार्यवाही हेतु भेजी गई है । एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर अनुचित व्यवसायों में लिप्त होने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करता है ।

Laying of new railway lines

1191. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the length of kilometers of the new railway lines laid during the last three years in different zones of the railways;

(b) the number of narrow gauge lines converted into broad gauge lines during the last three years; zonewise, and

(c) the length in Kilometers of the New Railway Lines targetted to be laid during the year 1993-94 and 1994-95 and alongwith the target of Narrow Gauge Lines likely to be converted into Broad Gauge lines ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.C. LENKA) : (a) The information for the last 3 years is as under :—

Railway	Length in Kms
1990-91	
Central	33
Northeast Frontier	18
Western	56
	107
1991-92	
Central	58
Eastern	10
Northern	11
North Eastern	25
Southern	11
Northern Frontier	15
South Central	21
South Eastern	42
	193
1992-93	
Central	81
North Eastern	22
Southern	111
South Central	9
South Eastern	18
	241

(b) Conversion of 24 lines/sections was completed during last 3 years. Zonewise details are as under :

Railway	No. of lines/ sections completed
1990-91	
North Eastern	1
South Central	1
1991-92	
South Central	1
North Eastern	1
1992-93	
Northern	5
North Eastern	3
Southern	5
South Central	4
South Eastern	1
Western	2
	24

(c) Lengths of New Lines and Gauge Conversion targetted for completion during 1993 94 and 1994 95 are as under :—

Year	New Line	Gauge Conversion
1993-94	152 kms.	1600 kms.
1994-95	138 kms.	1600 kms

रेल यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिये उठाये गये कदम

1192. श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, ने रेल यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रेल लाइनों के गैर-सरकारीकरण या आंशिक गैर-सरकारीकरण के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?